

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336] No. 1336] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

belli, webliebili, gold i, zolo gilloli

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

का.आ. 1928(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53च के साथ पठित धारा 53ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री अनिता कपूर को तारीख 10 मई, 2016 (अपराह्न) से उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों का प्रशासन प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 द्वारा होगा।

> [फा.सं. 9/1/2016-सीएस] के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

2772 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2016

- **S.O. 1928(E).** In exercise of the powers conferred by section 53C read with section 53F of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby appoints Ms. Anita Kapur, as Member of the Competition Appellate Tribunal, with effect from the 10th May, 2016 (Afternoon) and till she attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.
- 2. The terms and conditions of her service shall be governed by the Competition Appellate Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson and other Members) Rules, 2009.

[F. No. 9/1/2016-CS]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.